प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

31.08.2018 की स्थिति के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अधीन मानीटरिंगऔर रिपोर्ट
August, 2018 माह के दौरान प्राप्त कुल आवेदन: 119 और प्राप्त राशि:रु. 160/-

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम	श्री अजित कुमार साह, अवर सचिव (प्रशा.II)	श्री □□□□□□ □□□□□□□, अवर सचिव (प्रशा.I)	श्रीमती रेणु अरोड़ा, अवर सचिव (ओ&एम)	वि□भूति पंजियार, अवर सचिव (ई-गव.)	श्री दीन दयाल, अवर सचिव (ई-गव.ए)	श्री खामचिन नाउलक, अवर सचिव (एआरसी)	श्री संदीप मोहन प्रसाद, अवर सचिव (एआर-I)	श्री ग्या प्रसाद, अवर सचिव (एआर-II)	श्री धनन्जय कुमार, अवर सचिव (डी&डी-II)	श्री जितेन्द्र सिहवाग, अवर सचिव (डी&डी-I)	श्री राजीव शर्मा, अवर सचिव (आईई&सी-I)	श्री जे.के. अम्बवानी, अवर सचिव (आईई&सी-II)	श्रीमती प्रतिभा अहूजा, अवर सचिव (पीजी-सी1)	श्रीमती प्रसिका मैथ्यू अवर सचिव (पीजी-राज्य)	श्री □□□□□□ □□□□□□, अवर सचिव (पीजी)	श्री □□□□□□ □□□□□□□□□, अवर सचिव (पीजी-सी2)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
धारा 25 (3)																
(क) प्रत्येक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या	53	06	14	शून्य	शून्य	07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	05	18	08	08
(ख) ऐसे विनिर्णयों की संख्या जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिर्णय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) पुनरीक्षा के लिए केंद्रीय सूचना आयोग को निर्दिष्ट अपीलों की संख्या, इन अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई आनुशासनिक कार्रवाई का ब्यौरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ड़)इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की राशि	160	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(च) कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को दर्शाते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(छ) सुधार के लिए समुचित सुझाव जो विकास,																

सुधार, आधुनिकीकरण एवं सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के लिए इस अधिनियम अथवा अन्य विधान अथवा सामान्य विधि अथवा अन्य किसी संगत मामले में संशोधन के लिए सुधार के लिए अपेक्षित हो																

** विभाग की वेबसाइट http://darpg-grievance.nic.in में भारत में कहीं भी, किसी भी वेब आधारित सुविधा के जरिए कोई भी नागरिक शिकायतें दर्ज करा सकता है ।